Dainik Jagran, 26th Apirl 2016

अंगदान किया तो परिजनों को किडनी प्रत्यारोपण में प्रमुखता

- नोटो के मसौदे को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी

दिल्ली में किडनी प्रत्यारोपण

कुल किडनी	लिविंग डोनर	कैडेवर डोनर
9783	9607	176

(आंकड़े: 1995-2014 तक)

एनसीआर में ब्रेन डेड घोषित लोगों द्वारा किए गए अंगदान

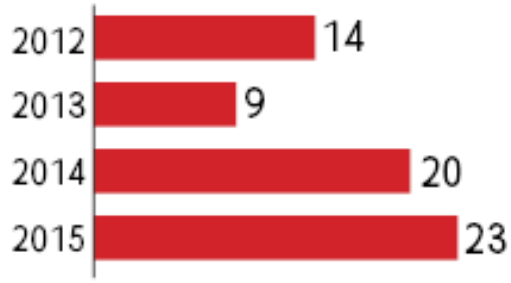

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

सफदरजंग अस्पताल में बनाए गए राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोटो) द्वारा अंगदान में मिली किडनी को मरीजों को आवंटित करने के लिए तैयार दिशा-निर्देश के मसौदे को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ जरूरी संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है। इसके बाद नोटो ने किडनी आवंटन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। नए प्रावधानों के मुताबिक, मरने से पहले अंगदान कर दूसरों को जीवन का तोहफा देने वालों के करीबी परिजनों को भी जरूरत पड़ने पर किडनी प्रत्यारोपण के लिए प्रमुखता दी जाएगी। इसके अलावा किडनी प्रत्यारोपण कराने की अधिकतम उम्रसीमा भी 65 से बढ़ाकर 75 वर्ष तक तय कर दी गई है। दिल्ली-एनसीआर के 31 अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण की सुविधा है। इसमें प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं। सभी अस्पतालों को इस दिशा-निर्देश को मानना पड़ेगा। साथ ही अधिक से अधिक बुजुर्गों को अंग प्रत्यारोपण की सुविधा मिल सकेगी।